हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2003

संख्या का० आ० 49/ह० अ० 6/2003/धा० 34/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (य ध) के साथ पठित धारा 34 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई सारणी के खाना 1 में वर्णित अधिकारियों को खाना 2 में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में तथा प्रत्येक के सामने खाना 3 में वर्णित अधिकारिता के क्षेत्र में, उन द्वारा प्रयोग की जाने वाली धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त की शक्तियां प्रदान करते हैं :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	मामले	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3
अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त या उससे नीचे की पदवी के अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	समस्त हरियाणा राज्य
मुख्यालय पर संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त या उससे नीचे की पदवी के किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	समस्त हरियाणा राज्य
रेंज के संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त या उससे नीचे की पदवी के किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	रेंज में आने वाले जिले
मुख्यालय पर उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी आबकारी तथा कराधान अधिकारी या उससे नीचे की पदवी के किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	समस्त हरियाणा राज्य

1	2	3
रेंज कार्यालय में पदस्थ उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	किसी आबकारी तथा कराधान अधिकारी या उससे नीचे की पदवी के किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	रेंज में आने वाले जिले
जिले का भारसाधक या आबकारी या निरीक्षण उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त	आबकारी तथा कराधान अधिकारी या सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए अथवा उसके समक्ष लम्बित मामलों के सम्बन्ध में।	उनकी तैनाती के जिले

टिप्पण— अधिकारिता के क्षेत्र के प्रयोजन के लिए किसी पंजीकृत व्यवहारी का कोई मामला उस जिले से सम्बन्धित होगा जिसमें व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है; कोई अन्य मामला उस जिले से सम्बन्धित होगा जिसकी सीमाओं के भीतर अपराध, जिससे मामला सम्बन्धित है, किया जाता है।

चन्द्र सिंह,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबाकरी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2003

No. S. O. 49/H. A. 6/2003/S. 34/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34, read with clause (zd) of sub-section (1) of Section 2 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby confers on the officers mentioned in column 1 of the table below, the powers of Commissioner under sub-section (1) of section 34 to be exercised by them in respect of cases mentioned in column 2 and in the area of jurisdiction mentioned in column 3, against each :—

Table

Designation of the officer	Cases	Area of jurisdiction
1	2	3
Additional Excise and Taxation Commissioner	In respect of cases decided by or pending before a Joint Excise and Taxation Commissioner or any officer below that rank.	Throughout the State of Haryana.
Joint Excise and Taxation Commissioner at the Head Office	In respect of cases decided by or pending before a Deputy Excise and Taxation Commissioner or any officer below that rank.	Throughout the State of Haryana.
Joint Excise and Taxation Commissioner of range	In respect of cases decided by or pending before a Deputy Excise and Taxation Commissioner or any officer below that rank.	Districts falling in the range.
Deputy Excise and Taxation Commissioner at the Head Office	In respect of cases decided by or pending before an Excise and Taxation Officer or any officer below that rank.	Throughout the State of Haryana.

1	2	3
Deputy Excise and Taxation Commissioner posted in the range office	In respect of cases decided by or pending before an Excise and Taxation Officer or any officer below that rank.	Districts falling in the range.
Deputy Excise and Taxation Commissioner incharge of district or Excise or Inspection side	In respect of cases decided by or pending before an Excise and Taxation Officer or Assistant Excise and Taxation Officer.	Within the districts of their posting.

Note— For the purpose of area of jurisdiction a case of a registered dealer shall relate to the district in which the dealer is registered under this Act; any other case shall relate to the district within the boundaries of which the offence to which the case relate was committed.

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

35798—L.R.—H.G.P., Chd